

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मण्डरायल जिला करौली

क्रमांक:- प.1(1)()न्याय/विविध/नियंत्रण कक्ष स्थापना/2020/

दिनांक:-

आदेश

नोवेल कोरोना (COVID-19) वायरस संक्रमण एक विश्व व्यापी (PANDEMIC) संक्रामक स्थिति में पहुँच चुका है एवं ऐसे किसी भी देश/प्रान्त/जिले के अथवा स्थानीय संक्रमित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के एक साथ अधिक संख्या में सामाजिक/आर्थिक/धार्मिक इत्यादि गतिविधियों हेतु स्थल विशेष पर एकत्रित/एक साथ प्रवास/परिवहन अथवा अन्य गतिविधियों से उपखण्ड मण्डरायल में भी उक्त वायरस (विषाणु) के फैलने/संक्रमण से आमजन के न सिर्फ स्वास्थ्य को अपितु मानव जीवन को खतरा/संकट उत्पन्न होना सम्भावित है।


अतः उपखण्ड कार्यालय मण्डरायल में तत्काल प्रभाव से प्रभारी अधिकारी श्री प्रकाश चन्द मीना, तहसीलदार मण्डरायल मोबाईल नम्बर 7073602328 के नेतृत्व में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाकर निम्नानुसार पारी अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति की जाकर निर्देशित किया जाता है कि नोवेल कोरोना (COVID-19) वायरस से प्रभावित व्यक्ति के संदिग्धता के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डरायल, जिला प्रशासन एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रभाव से अवगत करावे तथा कार्यालय रिकॉर्ड संधारित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	मोबाईल नम्बर	साप्ताहिक अवकाश
प्रथम पारी प्रातः 06:00 बजे दोपहर 02:00 बजे तक				
1.	श्री शशिमोहन शर्मा, अध्यापक	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, झारीला	9602690697	गुरुवार
2.	श्री रामेश्वर शर्मा, अध्यापक	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नींदर	9983455747	
3.	श्री ओमहरी शर्मा, अध्यापक	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डरायल	9799203747	
द्वितीय पारी दोपहर 02:00 बजे रात्रि 10:00 बजे तक				
1.	श्री अवधेश कुमार शर्मा, प्रबोधक	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खड्डरपुरा	8290944922	शुक्रवार
2.	श्री राधामोहन गुप्ता, प्रयोगशाला सहायक	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डरायल	9636324360	
3.	श्री विजय कुमार सिंह, अध्यापक	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पांचौली	7568878494	
तृतीय पारी रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक				
1.	श्री दीनदयाल शर्मा, शिक्षाकर्मी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिरकन	9784734616	शनिवार
2.	श्री विवेक शर्मा, अध्यापक	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, टॉकेपुरा	9785110376	
3.	श्री राधेश्याम मीना, अध्यापक	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मौंगीपुरा	7891214433	

आरक्षित पारी

1.	श्री राघामोहन शर्मा, कनिष्ठ सहायक	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीदर	9828707377	रविवार
2.	श्री कृष्णानन्द शर्मा, कनिष्ठ सहायक	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मण्डरायल	9468585910	
3.	राजरज मीना, अध्यापक	राजकीय प्राथमिक विद्यालय ईडरकापुरा	8952999309	

1. जान बुझकर उक्त आदेशों की अवज्ञा की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा द राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 के तहत कार्मिक/व्यक्ति के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी जिसमें एक वर्ष तक सिविल कारावास अथवा शास्ति आरोपित कि जा सकती है साथ ही सी.सी.ए. नियमों के तहत भी समानान्तर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेंगी।
2. साप्ताहिक अवकाश के दिन आरक्षित पारी के कार्मिक कार्य करेंगे तथा शेष कार्य दिवसों में आरक्षित पारी का समय कार्यालय समय रहेगा।
3. उक्त कार्मिक प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता, जिला कन्ट्रोल रूम नम्बर (07464-251335) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली के कन्ट्रोल रूम नम्बर (07464-297031, 7374009222) पर देना सुनिश्चित करेंगे।



 (हेमराज गुर्जर)
 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 मण्डरायल

कमांक : सम/2020/955-81

दिनांक :- 23.3.2020

प्रतिलिपि :- निम्न को पालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, करौली।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, करौली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल।
6. तहसीलदार मण्डरायल।
7. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डरायल।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मण्डरायल को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर उक्त कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर नियंत्रण कक्ष में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करें।
9. पी.ई.ई.ओ./प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर कर नियंत्रण कक्ष में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करें।
10. थानाधिकारी, पुलिस थाना मण्डरायल/लांगरा।
11. संबंधित कार्मिक श्री को पालनार्थ।
12. रक्षित पत्रावली।


 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 मण्डरायल